(3)

प्रेषक,

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सहारनपुर।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय
सहारनपुर।

विषयः–अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 125/2021 दिनांकित 29.11.2021 पर वांछित आख्या/स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में।

आदरणीय महोदय,

माननीय महोदय के उपरोक्त अर्द्धशासकीय पत्र के क्रम में विनम्र अनुरोध के साथ अवगत कराना है कि,

1–मुकदमा अपराध संख्या 476/2021 अन्तर्गत धारा 406, 420, 467, 468, 471 भा0दं0सं0 थाना सदर बाजार के मामले में अभियुक्त सिद्धान्त सिरोही के जमानत आदेश एवं सम्पूर्ण रिमाण्ड पत्रावली को श्रीमान जी के प्रशासनिक कार्यालय द्वारा श्रीमान जी के मौखिक आदेशों के क्रम में तलब कर रख लिया था जिसके सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी के पत्र दिनांकित 04.12.2021 के द्वारा श्रीमान जी को अवगत कराया गया था।

02–उक्त रिमाण्ड पत्रावली इस न्यायालय के कार्यालय लिपिक द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष आज दिनांक 16.12.2021 को प्रस्तुत की है तथा अवगत कराया है कि श्रीमान जी के प्रशासनिक कार्यालय द्वारा उक्त पत्रावली आज ही वापिस की गयी है।

03–आदरणीय महोदय को अवगत कराना है कि न्यायालय अथवा न्यायालय का कोई भी कर्मचारी कभी भी हड़ताल पर नहीं होते हैं और न ही न्यायालय अथवा न्यायालय के किसी भी कर्मचारी द्वारा किसी भी हड़ताल का अप्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष किसी भी प्रकार से समर्थन किया जाता है। माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने विविध निर्णयों/आदेशों द्वारा अधिवक्ताओ द्वारा समय–समय पर की जाने वाली हड़तालों जिनके कारण न्यायालय का कार्य बाधित होता है, को असंवैधानिक घोषित किया गया है।

04–माननीय महोदय के मौखिक निर्देशों एवं बार एवं बेंच के मध्य समन्वय से न्यायालय का कार्य सुचारू रूप से चलाये जाने के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए स्थानीय बार द्वारा घोषित हड़ताल के दिन सामान्यतः प्रतिकूल आदेश पारित करने व उन मामलों में भी कोई प्रतिकूल आदेश पारित करने से बचा जाता है, जिनमें अधिवक्तागण उपस्थित नहीं होते हैं।

05–प्रश्नगत मामले के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दिनांक 18.11.2021 को अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से विरत थे, प्रार्थी/अभियुक्त सिद्धान्त सिरोही न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरूद्ध था तथा प्रश्नग जमानत प्रार्थना पत्र पर पूर्व से ही सुनवाई की तिथि 18–11–2021 नियत थी। अभियुक्त की छोटी पुत्री हृदय रोग से पीड़ित थी, जिसके सम्बन्ध में चिकित्सीय प्रपत्र प्रस्तुत किये गये थे तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई हेतु लिखित में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रार्थनापत्र पर स्थानीय बार के उपाध्यक्ष श्री भोपाल सिंह पुण्डीर एडवोकेट द्वारा भी इस आशय का पृष्ठांकन किया गया था कि "श्रीमान जी उपरोक्त मामले की आज ही सुनवाई करने की कृपा करें धन्यवाद"।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के लिखित प्रार्थनापत्र व स्थानीय बार के प्रतिनिधि द्वारा भी उक्त पर अपनी लिखित सहमति देने के पश्चात अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की विस्तृत बहस सुनकर अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्णतः विधिसम्मत

16/12/2021

जमानत आदेश पारित किया गया। उक्त जमानत आदेश निम्नवत् हैः–

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहारनपुर ।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– /2021

राज्य बनाम सिद्धान्त सिरोही।

मुकदमा अपराध संख्या 476/2021

धारा 406, 420, 467, 468 व 471 भा0दं0सं0

थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर

CNR UPSP040856562021

आदेश

18–11–2021

मुकदमा अपराध संख्या 476/2021 धारा 406, 420, 467, 468 व 471 भा0दं0सं0 थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर के अपराध के सम्बन्ध में न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध प्रार्थी/अभियुक्त **सिद्धान्त सिरोही** की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, दौरान वाद जमानत पर अवमुक्त किये जाने की याचना इस आधार पर की गई कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फॅसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यन्त विलम्ब से लिखाई गई है जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त की माता द्वारा एक गाडी खरीद की थी, जिसके सम्बन्ध में बैक से लोन लिया गया था और उक्त गाडी का रजिस्ट्रेशन प्रार्थी की माता के नाम है। रजिस्टर्ड ऑनर द्वारा ही बैंक में कुछ किश्ते जमा की गई है, कुछ रूक गई थी, जिस कारण उक्त मुकदमा प्रार्थी की माता व एक अन्य के विरूद्ध दर्ज कराया गया है।

बार का प्रस्ताव होने के कारण आज अधिवक्तागण कार्य से विरत है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त की एक छोटी बच्ची है, जो बीमार है, घर पर प्रार्थी/अभियुक्त के अलावा कोई पुरूष नहीं है, जो बच्ची को डाक्टर को दिखा सके तथा आज ही जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई पर बल दिया गया। अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विद्वान अधिवक्ता श्री भोपाल सिंह पुण्डीर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सिविल कोर्ट, सहारनपुर द्वारा इस आशय का पृष्ठांकन किया गया कि–"उपरोक्त मामलें में आज ही सुनवाई करने की कृपा करें।" जिस कारण उक्त प्रार्थना पत्र पर आज ही सुनवाई की जा रही है।

अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया।

सुना तथा प्रस्तुत प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियुक्त दिनांक 12–11–2021 से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है।

वादी द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त को नामित नहीं किया गया है और न ही अभियुक्त के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई आरोप प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाया गया है। मामला तथाकथित रूप से वाहन के लिए ऋण लेकर ऋण चुकता न कर वाहन को कथित कूटरचित दस्तावेज के आधार पर विक्रय किए जाने का आरोप है। प्रश्नगत मामलें में आरोपित अभियुक्त न तो ऋणी है, न ही उस पर ऋण अदा न करने का कोई आरोप है, न ही न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध अभियुक्त के सम्बन्ध में ऐसा कोई साक्ष्य संकलित किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अभियुक्त द्वारा किस प्रकार का कोई कूटरचित दस्तावेज तैयार किया गया हो, अथवा उसका प्रयोग किया गया हो। अभियुक्त ऋणी का पुत्र है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रश्नगत मामलें में यदि न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध अभियुक्त की माता द्वारा ऋण अदा नहीं किया गया था तो भी बैंक का यह दायित्व था कि वह उन्हें ऋण अदा करने हेतु वसूली अधिपत्र जारी करती, लेकिन बैंक द्वारा कोई वसूली अधिपत्र भी जारी नहीं किया गया है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस स्तर पर आरोपित अभियुक्त के सम्बन्ध में कूटरचना, धोखाधडी, अमानत में खयानत आदि का अपराध बनता हुआ भी प्रतीत नहीं होता है। अभियुक्त की पत्नी मिन्नी वालिया की ओर से अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में शपथ पत्र इस आशय का दिया गया है कि थाने से प्राप्त रिपोर्ट में जिस मुकदमा का वर्णन किया गया है, उस मामलें में उसके पति अर्थात् अभियुक्त जमानत पर है तथा उक्त वाद आज भी न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः गुणदोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना मामलें के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त को **मुबलिग 50,000/रुपये** का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि के **दो जमानती** दाखिल

16/11/2021

करने एवं निम्न शर्ता की अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर दौरान वाद जमानत पर अवमुक्त किया जाता है।

1–प्रार्थी/अभियुक्त मामलें के विवेचक व न्यायालय द्वारा तलब किए जाने पर उपस्थित होगा।

2–प्रार्थी/अभियुक्त प्रश्नगत मामलें के गवाहान को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेंगा, डरायेगा, धमकायेंगा नहीं, विचारण में अनावश्यक विलम्ब नही करेंगा, आरोप विरचित किए जाने, साक्षी के उपस्थित आने एवं धारा 313 दं0प्र0सं0 के बयान अंकित किए जाने हेतु नियत तिथि पर किसी प्रकार का स्थगन नही देंगा।

3–प्रार्थी/अभियुक्त किसी भी प्रकार का अवैधानिक कृत्य नहीं करेगा।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सहारनपुर।

उक्त आदेश में जमानत प्रदान किये जाने के समस्त आधारों का स्पष्टतः वर्णन किया गया है। जहॉ तक अभियुक्त की पत्नी के कथित शपथपत्र का प्रश्न है। उक्त शपथपत्र का भी उल्लेख जमानत आदेश में किया गया है। उक्त कथित शपथपत्र प्रार्थिया के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है। उक्त शपथपत्र में अभियुक्त के एक आपराधिक इतिहास का उल्लेख किया गया है जोकि थाना हाजा की आख्या में भी किया गया है तथा थाना हाजा की आख्या में अथवा विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने अपनी आख्या मे अथवा किसी भी थाना क्षेत्र के किसी भी अन्य मामले के किसी भी विवेचक ने इस आशय का कोई प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया कि अभियुक्त किसी भी मामले में वांछित हो अथवा जो एक आपराधिक इतिहास दर्शाया गया है उसमें जमानत पर न हो।

अतः स्पष्ट है कि अधोहस्ताक्षरी के आदेश में उक्त का वर्णन इसलिये किया गया कि वह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, किन्तु वास्तविक रूप से अधोहस्ताक्षरी द्वारा थाना हाजा की आख्या पर ही विश्वास किया गया जो कि अभियुक्त की पत्नी के कथित शपथपत्र का समर्थन करती है। अधोहस्ताक्षरी के जमानत आदेश का आधार अभियुक्त की पत्नी का कथित शपथपत्र नहीं है। ऐसी दशा में कथित शपथपत्र के सत्यापन आदि का कोई प्रश्न अर्न्तनिहित नहीं है और न ही उसकी कोई आवश्यकता थी, क्योंकि उसके तथ्य अभियोजन आख्या के अनुरूप ही थे। न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यों एवं अभिलेखों का उल्लेख सामान्यतः अपने आदेश में किया जाता है जो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं। उक्त अभिलेखों का आदेश में उल्लेंख किये जाने का एकमात्र निर्वचन यह नहीं है कि न्यायालय द्वारा उक्त को पूर्णतः सही मान लिया गया हो। अधोहस्ताक्षरी के जमानत आदेश में भी ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि अभियुक्त की पत्नी के कथित शपथपत्र को पूर्णतः सही मानते हुए केवल शपथपत्र के आधार पर ही अभियुक्त को जमानत प्रदान कर दी गयी हो।

06–दण्ड प्रकिया संहिता में ऐसा कोई स्पष्ट आज्ञापक प्राविधान नहीं है और न ही श्रीमान जी द्वारा ऐसा कोई लिखित आदेश पारित किया गया है और न ही माननीय उच्चतम न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय की किसी विधि–व्यवस्था में ऐसा कोई आज्ञापक दिशा–निर्देश पारित किया गया है कि जिन धाराओं में उक्त अभियुक्त को जमानत प्रदान की गयी है, उक्त धाराओं में मजिस्ट्रेट न्यायालय जमानत प्रदान नहीं कर सकता है।

वस्तुतः प्रश्नगत मामले में जमानत आदेश में ही समस्त तथ्यों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि आज की तिथि तक प्रश्नगत मामले में विवेचक द्वारा ऐसा कोई भी अभिलेख न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है जिसमें अभियुक्त सिद्धान्त सिरोही द्वारा किसी भी प्रकार

16/12/21

की कोई कूटरचना की गयी दर्शायी हो। उक्त अभियुक्त न तो उक्त मामले में नामित है और न ही उक्त अभियुक्त के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई आरोप प्रथम सूचना रिपोर्ट में ही दर्शित है और न ही आज की तिथि तक केस डायरी में ऐसे किसी साक्ष्य का संकलन किया जाना दर्शित होता है। प्रश्नगत मामले में अधोहस्ताक्षरी द्वारा न्यायिक सदविवेक का पूर्णतः सद्भावनापूर्वक प्रयोग करते हुए विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है।

07—जहाँ तक अभियुक्त के प्रतिभू प्रपत्रों के औपबन्धिक रूप से स्वीकृत किये जाने का प्रश्न है, के सम्बन्ध में पुनः स्पष्ट करना है कि स्थानीय बार की हड़ताल होने के बावजूद भी कारागार में निरूद्ध अभियुक्त की पारिवारिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए स्वयं स्थानीय बार के उपाध्यक्ष द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र की सुनवाई किये जाने का अनुरोध किया था जिससे भी स्पष्ट है कि परिस्थितियॉ भिन्न थीं।

इसके अतिरिक्त प्रतिभू प्रपत्रों के सत्यापन के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या—4258/एडमिन जी—II इलाहाबाद दिनांकित 17.04.2020 को परिचालित की गयी जिसमें प्रतिभू प्रपत्रों के सत्यापन के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र संख्या—तीन/एडमिन(जी) इलाहाबाद दिनांकित 16.02.2009 व परिपत्र सं0—28/2010 एडमिन जी—II इलाहाबाद दिनांकित 18.09.2010 को संदर्भित किया गया है। उक्त परिपत्रों में हत्या, डकैती, बलात्कार व एन0डी0पी0एस0 एक्ट से सम्बन्धित मामलों में प्रतिभू प्रपत्रों के सत्यापन के सम्बन्ध में दिशा—निर्देश जारी किये गये हैं तथा उक्त के सम्बन्ध में भी न्यायालय को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह प्रतिभू प्रपत्रों को औपबंधिक रूप से भी स्वीकृत कर सकते हैं।

अभियुक्त सिद्धान्त सिरोही का मामला न तो हत्या से सम्बन्धित है न डकैती से सम्बन्धित है न बलात्कार से सम्बन्धित है और न ही एन0डी0पी0एस0 एक्ट से सम्बन्धित है जिनमें सामान्यतः प्रतिभू प्रपत्रों का अनिवार्य सत्यापन रिहाई पूर्व कराया जाना चाहिए।

यहॉ यह उल्लेख किया जाना भी समीचीन है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के किसी भी परिपत्र में और ना ही किसी भी अधिनियमित विधि व्यवस्था में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि किसी निश्चित धनराशि से अधिक धनराशि के प्रतिभूओं का अनिवार्य रूप से सत्यापन कराया जाये। प्रतिभू प्रपत्रों का स्वीकृत किया जाना मजिस्ट्रेट के न्यायिक विवेकाधिकार की विषय वस्तु है, जिसका प्रयोग मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। प्रश्नगत मामलें में भी उक्त विवेकाधिकार का प्रयोग पूर्णतः विधिसम्मत रूप से किया गया है।

प्रश्नगत मामले में अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्णतः विधिनुसार आदेश पारित करते हुए अभियुक्त की जमानत स्वीकृत की गयी है व जमानत स्वीकृत किये जाने के समस्त आधारों का उल्लेख उक्त आदेश में स्पष्ट वर्णित है व प्रतिभूओं को विधि अनुसार ही औपबंधिक रूप से स्वीकृत किया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा किसी भी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि प्रश्नगत मामले में कारित नहीं की गयी है।

आख्या/स्पष्टीकरण आदरणीय महोदय की सेवा में अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है।

सम्मान सहित।

भवदीय,

16/12/2021

(अनिल कुमार XI)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सहारनपुर।

दिनॉक:—16—12—2021